

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम प्रयागराज

परिवाद सं०-27 / 22

संयोजन सं०-251477

सैयद जरार फाखरी बनाम अधिशाषी अभियन्ता कल्याणी देवी

15.06.2022

पत्रावली पेश हुई।


परिवादी द्वारा फोरम के समक्ष संशोधित बिल व्याज रहित निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में परिवाद दाखिल किया गया है।


आज दिनांक 15.6.22 को विभाग द्वारा निर्गत बिल दाखिल किया गया है, उससे परिवादी सहमत है।

परिवादी की ओर से अनुरोध किया गया कि विभाग द्वारा बिल व्याज सहित निर्गत किया गया है, उस बिल में से व्याज की धनराशि हटा दी जाये, तो वह बिल जमा करने को तैयार है।

आदेश

विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को निर्गत बिल में से व्याज की धनराशि को घटाकर उसे व्याज रहित बिल निर्गत करें, जिसका भुगतान परिवादी 15 दिन के अन्दर करे। अतः परिवाद समाप्त किया जाता है।

  
(प्रदीप कुमार साँनकर)  
सचिव

  
(शिव कुमार पाठक)  
तकनीकी सदस्य